न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 98/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. ठाकरिया पिता खूमा जी भील मृतक के बजाय :–
   1/1. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी स्व. श्री ठाकरिया भील, जाति भील
   1/2. तुलसीराम पिता स्वर्गीय श्री ठाकरिया भील, जाति भील
   1/3. गणेशलाल पिता स्वर्गीय श्री ठाकरिया भील, जाति भील
   1/4. देवीलाल पिता स्वर्गीय श्री ठाकरिया भील, जाति भील
   सर्वनिवासी बिल्ली वाला कुंआ, आयड़, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर
   1/5. श्रीमती सोहन पुत्री स्वर्गीय श्री ठाकरिया भील पत्नी भग्गा जी भील, जाति भील, निवासी राताखेता, दूधिया गणेश जी, उदयपुर
2. श्रीमती नानीबाई बेवा केसू जी भील, जाति भील
3. शंकर पिता केसू जी भील, जाति भील
4. सुनिल पिता वेणीराम जी भील, जाति भील
5. भंवरलाल पिता वेणीराम जी भील, जाति भील
   सर्वनिवासी बिल्ली वाला कुंआ, आयड़, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर (राज.)
6. प्रेमा उर्फ पेमा पिता हेमा जी भील मृतक के बजाय :–
   6/1. मांगीलाल पिता स्वर्गीय श्री प्रेमा उर्फ पेमा भील, जाति भील
   6/2. गणेश पिता स्वर्गीय श्री प्रेमा उर्फ पेमा भील, जाति भील
   सर्वनिवासी बिल्ली वाला कुंआ, आयड़, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर
   6/3. श्रीमती जमनाबाई पुत्री स्वर्गीय श्री प्रेमा उर्फ पेमा भील, पत्नी लालू जी भील, जाति भील, निवासी अलीपुरा, कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)
7. मिट्ठू पिता मगनीराम जी भील, निवासी बिल्ली वाला कुंआ, आयड़, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती धन्नीबाई बेवा मगनीराम जी भील मृतक के बजाय :–
   8/1. मिट्ठालाल पिता स्वर्गीय मगना जी भील, निवासी बिल्ली वाला कुंआ, आयड़, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर (राज.)
   8/2. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्वर्गीय मगना जी भील, पत्नी शंकरलाल जी भील, निवासी 45, ओल्ड कल्पना हॉस्पिटल के पीछे वाली गली, कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)
   8/3. श्रीमती गंगा पुत्री स्वर्गीय मगना जी भील, पत्नी खेमराज जी भील, निवासी 33, रघुनाथपुरा, उदयपुर (राज.)

8/4. श्रीमती कंचनबाई पुत्री स्वर्गीय मगना जी भील, पत्नी केशुलाल जी भील, निवासी 1/680, देवमगरी, कच्ची बस्ती, नीमचखेड़ा, देवाली, उदयपुर (राज.)

8/5. श्रीमती सोहनीबाई पुत्री स्वर्गीय मगना जी भील, पत्नी मोहनलाल जी भील, निवासी सुखाड़िया नगर, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 3, उदयपुर (राज.)

8/6. श्रीमती लक्ष्मीबाई पुत्री स्वर्गीय मगना जी भील, पत्नी कालूलाल जी भील, निवासी 357, मठ मार्ग, शोभागपुरा, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. देवीलाल पिता श्री दलीचन्द कलाल, नि0 जनतामार्ग, सूरजपोल, उदयपुर
2. भेरूलाल पिता श्री दलीचन्द कलाल, नि0 जनतामार्ग, सूरजपोल, उदयपुर
3. जितेन्द्र पिता श्री दलीचन्द कलाल, नि0 जनतामार्ग, सूरजपोल, उदयपुर
4. सुनील कुमार पिता नाथूलाल कलाल, नि. जनतामार्ग, सूरजपोल, उदयपुर
5. रतनलाल पिता श्री नाथूलाल कलाल, नि. जनतामार्ग, सूरजपोल, उदयपुर
6. श्रीमती भंवरीबाई बेवा नाथूलाल कलाल, नि. जनतामार्ग, सूरजपोल, उदयपुर
7. श्रीमती प्यारी बेवा श्री धना कलाल, निवासी धोलीबावड़ी, उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती भगवती पत्नी श्री पुखराज टांक, निवासी धोलीबावड़ी, उदयपुर
9. श्रीमती मुन्नाबाई पत्नी श्री ज्ञानचन्द्र टांक, निवासी धोलीबावड़ी, उदयपुर
10. श्रीमती घीसीब ाई पत्नी कन्हैयालाल टांक, निवासी धोलीबावड़ी, उदयपुर
11. राजकुमार पिता स्व. प्यारचन्द चित्तौड़ा, निवासी 442, भुपालपुरा, उदयपुर
12. सुरेशचन्द पिता स्व. प्यारचन्द चित्तौड़ा, निवासी 442, भुपालपुरा, उदयपुर
13. जम्बू कुमार पिता श्री मदनलाल जैन, निवासी मकान नंबर 123, रोड़ नंबर 2, अशोकनगर, उदयपुर (राज.)
14. धनपाल पिता श्री मदनलाल जैन, निवासी मकान नंबर 1091, सेक्टर नंबर 4, उदयपुर (राज.)
15. दिनेशचन्द पिता श्री ब्रजगोपाल सुखवाल, निवासी वृन्दावन विहार, गली नंबर 2, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
16. गणपतलाल पिता श्री चुन्नीलाल पोरवाल, निवासी मकान नंबर 465, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
17. श्रीमती आजाद पत्नी श्री गणपतलाल पोरवाल, निवासी मकान नंबर 465, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

18. हर्ष पोरवाल पिता श्री गणपतलाल पोरवाल, निवासी मकान नंबर 465, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
19. अजय पिता श्री रमाशंकर शर्मा, निवासी मकान नंबर 12, मीरा मार्ग, सरदारपुरा, उदयपुर (राज.)
20. सुनील पिता श्री श्री रमाशंकर शर्मा, निवासी मकान नंबर 12, मीरा मार्ग, सरदारपुरा, उदयपुर जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर अजय पिता श्री रमाशंकर शर्मा, निवासी मीरा मार्ग, सरदारपुरा, उदयपुर (राज.)
21. पूनम वागरेचा पिता श्री अशोक वागरेचा, जाति जैन, निवासी मकान नंबर 27 एफ, भुपालपुरा वेरायटी स्टोर के पीछे, उदयपुर (राज.)
22. नजरसिंह पिता श्री भैरूलाल भण्डारी, मकान नंबर 404, विनायक विला, सेलीब्रेशन मॉल के पीछे, भुवाणा, उदयपुर (राज.)
23. श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री सुरेन्द्र शर्मा, निवासी बेड़वास, तहसील गिर्वा हाल निवासी 13, वृन्दावन धाम, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
24. ऋषभ भाणावत पिता श्री मिट्ठालाल भाणावत, निवासी 14–ए, सहेली नगर, उदयपुर (राज.)
25. श्रीमती संगीता भाणावत पत्नी ऋषभ भाणावत, निवासी 14–ए, सहेली नगर, उदयपुर (राज.)
26. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
27. श्रीमती सुलक्षणा सोनी पत्नी हेमेन्द्र सेनी, निवासी 14, वृन्दावन धाम, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
28. नरेन्द्र दुग्गड़ पिता अनूपचन्द्र जी दुग्गड़, 404, इण्डिया टेक्सटाईल मार्केट, सूरत (गुजरात)
29. मनीष चण्डालिया पिता श्री भैरूलाल चण्डालिया, निवासी 6–7, जैन कॉलोनी, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
30. श्रीमती सरोज देवी पत्नी कमल कुमार जी जैन, निवासी 12, वृन्दावन धाम, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
31. कमल कुमार पिता देवीलाल जी जैन, निवासी 12, वृन्दावन धाम, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
32. विमल कुमार पिता मांगीलाल जी जैन, निवासी 10, वृन्दावन धाम, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

33. विमला लसोड पत्नी विमल कुमार जी जैन, निवासी 10, वृन्दावन धाम, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
34. श्रीमती रामकन्या पत्नी श्री शान्तिलाल लखारा, निवासी 16, वृन्दावन धाम, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
35. विमल पिता जसवन्तसिंह जी मेहता, निवासी 8, वृन्दावन धाम, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
36. श्रीमती सुनीता पत्नी विमल जी मेहता, निवासी 8, वृन्दावन धाम, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
37. सुब्रमणी अययर पिता श्री के. नारायण, 61, क्नोक्रेट सोसायटी, उदयपुर।
38. श्रीमती प्रेमा पत्नी श्री सुब्रमणी अययर 61, क्नोक्रेट सोसायटी, उदयपुर।
39. श्रीमती शैलेजा मंगल पत्नी श्री मदन मोहन मंगल, 129, एम रोड़, भूपालपुरा, उदयपुर (राज.)
40. मदन मोहन पिता श्री अम्बालाल, नि. 130, मंगलम रोड़, भूपालपुरा, उदयपुर
41. श्रीमती मृगलता पत्नी श्री प्रमोद शंकर झा, अशोक नगर, उदयपुर (राज.)
42. सुश्री वन्दना पुत्री श्री प्रमोद शंकर झा, अशोक नगर, उदयपुर (राज.)
43. श्रीमती रेणु बन्दवाल पत्नी वरूण जी बन्दवाल, 27, वृन्दावन धाम, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
44. श्रीमती नीतू साहू पत्नी गोविन्द जी साहू, वृन्दावन धाम, 27–ए, गली नंबर 2, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
45. श्रीमती सुनीता सोनी पत्नी शिवकुमार जी सोनी, 29, गली नंबर 2, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
46. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी लक्ष्मीलाल जी नेणावा, 29, गली नंबर 2, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
47. सुनील तातेड पिता स्वर्गीय किरण चन्द्र जी तातेड, मकान नंबर 4, नई पुलिया के पास, पानी की टंकी के आगे, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
48. श्रीमती भावना माथुर पत्नी श्री अजय माथुर, निवासी 104–ए, गणपति अपार्टमेन्ट, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
49. रतनलाल पिता भंवरलाल जी मोटावत, निवासी अशोक नगर, उदयपुर।
50. श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र साहू, निवासी 337–ए, अम्बामाता स्कीम, मल्लातलाई चौराहा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 10.06.2017 प्र.सं. 164/97

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री नरेन्द्र सोनी अभि.रे.सं. 21 से 19, 21 से 25
3. श्री समित शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 20
4. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रे.सं. 47
5. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि. रे. सं. 26

———:::———

निर्णय **दिनांक 07–01–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य होकर उनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। वादीगण ग्राम आयड़ की आराजी नंबर 453 गत हाल आराजी नंबर 1386 व 1387 किस्म आबादी पर बने मकानों में अपने पूर्वजों के समय से रह रहे हैं एवं पास ही उनका पुश्तैनी कालका माता जी का देवरा आराजी नंबर 454 गत हाल आराजी नंबर 1390 में बना होकर वादीगण इस देवरे में मूर्ति की सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने की दिनांक को आराजी नंबर 1390 पर वादीगण के मौरूस खुमा पिता हरजी शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज थे। आराजी नंबर 468 की कैफियत में खुमा जी पिता हरजी के मुस्तकिल शिकमी हक का इन्द्राज है। मोड़ा वल्द मोती डांगी अरसे दराज से ही जमीन छोड़कर चला गया सो आराजी नंबर 454 पर स्थित कालका माता का देवरा व साथ लगी आराजी नंबर 455 पर वादीगा का कब्जा बतौर पुजारी एवं टीनेन्ट ऑफ मोरगेज मोड़ा का चला रहा है। यह भूमि उसके पास गेन्दी की तरफ से रहन बिल कब्ज थी। गेन्दी बाई अपने जीवनकाल में रहन नहीं छुड़ा सकी और मोड़ा के लापता होने से अन्य आराजियात के अलावा इन दोनों

आराजियात पर भी वादीगण एवं उनके मौरूस काबिज चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमियों के अलावा वादीगण के खातेदारी की आराजी नंबर 472 हाल आराजी नंबर 1408 की पिलाई चाह नंबर 452 हाल आराजी नंबर 1385 से होती है। गेन्दी बाई ने अपने मृत्युपर्यन्त वादीगण अथवा उनके मौरूस खुमा जी के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित आराजियात से बेदखल किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे वादीगण का आज भी वास्तविक भौतिक आधिपत्य चला आ रहा है। भू–प्रबन्ध के दौरान वादीगण को बिना सुने उनकी पीठ पीछे भूमियां प्रतिवादीगण के नाम अवैध रूप से दर्ज कर दी गयी हैं जो वादीगण के मुकाबले प्रभाव शून्य हैं। अतएवं हाल आराजी नंबर 1381, 1385, 1389, 1391, 1404, 1407 व 1414 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा आराजी नंबर 1390 की दुरस्ती करायी जाकर कालका माता के नाम दर्ज की जावे। आराजी नंबर 1405 व 1406 का अंकन अनाधिकृत घोषित किया जाकर बिलानाम रास्ता एवं आराजी नंबर 1386 व 1387 पर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के अंकन को अनाधिकृत घोषित किया जाकर उसे हटाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा व अन्य उचित विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तथा 9 व 10 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों को नकारते हुए मंदिर नहीं होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावशील होते समय वादीगण के शिकमी काश्तकार नहीं होने का कथन किया। जिन तथ्यों को वादीगण कहते हैं वह 25 वर्ष पूर्व की बात है तथा विवादित भूमियों पर वादीगण का कब्जा नहीं है। यदि माफीदार की या जागीरी की जमीन होती तो सन् 1958 में क्या नाम दर्ज थे उसकी रिलेवेन्सी हो सकती है, परन्तु यहां पर वादीगण को किसी प्रकार की कोई रिलेवेन्सी नहीं है, न ही उनका कोई हक अधिकार है। यह जमीन प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम नियमानुसार दर्ज हुई है। गेन्दी बाई के कोई लड़का नहीं होने से उसने मोड़ा पिता गणेश को दत्तक पुत्र रखा तथा मोड़ा ने यह जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06–10–1940 से प्रतिवादीगण को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है, तब से उनका कब्जा चला आ रहा है। अतिरिक्त जवाब में निवेदन किया कि वादीगण का उक्त आराजियात से कोई संबंध नहीं है, मात्र प्रतिवादीगण को जलील व परेशान करने की नियत से यह गलत वाद पेश किया है, जो

हर्जे–खर्चे के साथ खारिज किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से भी इसी आशय के खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में दिनांक 30–11–1999 को अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 6 तनकियां कायम की :–

1. आया वाद पत्र के पैरा नंबर 2 व 9 में वर्णित जमीन वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य की होकर वही उसका उपयोग व उपभोग कर रहे हैं तथा कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
2. आया वादीगण वाद पत्र के पैरा नंबर 3 में वर्णित जमीन के शिकमी काश्तकार थे। अगर ऐसा हो तो वाद पत्र पर उसका क्या असर होगा ? ..... वादीगण
3. आया वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण ने अपने नाम राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खाते करवा ली है जबकि प्रतिवादीगण का कथित जमीन से कोई संबंध नहीं है ? ..... वादीगण
4. आया आराजी नंबर 1390 वादी कालका माता के नाम खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
5. आया वादीगण, प्रतिवादीगण से विशेष हर्जे–खर्चे के रूपये 20,000/– प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? ..... प्रतिवादीगण
6. अनुतोष ?

प्रकरण में दौराने कार्यवाही विभिन्न अन्तवर्ती आदेशों के कारण पत्रावली निगरानी में राजस्व मण्डल में भी गयी। प्रकरण में दौराने कार्यवाही आदेश 1 नियम 10 के तहत भूमि के रूपान्तरण होने के बाद क्रेतागण के पक्षकार बनने के आवेदन भी प्रस्तुत होकर निर्णित हुए।

प्रकरण में दिनांक 18–10–2016 को प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वादीगण जिस भूमि के संबंध में वाद लेकर आये हैं, वह कृषि भूमि नहीं है तथा उक्त भूमि के संबंध में 90 बी की कार्यवाही होकर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी है तथा नगर विकास प्रन्यास के यहां से कई पट्टे भी जारी हो चुके हैं तथा मौके पर किसी प्रकार की कोई

कृषि भूमि नहीं रही है। उक्त भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है। अतएवं वाद खारिज किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रकरण में उक्त आवेदन दिनांक 18–10–2016 को प्रस्तुत होने के बाद पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं रहे हैं तथा प्रकरण दिनांक 10–06–2017 को लोक अदालत में रखा जाकर दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में निर्णय पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने यह अंकित किया है कि ''प्रकरण दिनांक 18–10–2016 से प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के जवाब हेतु नियत है। वादी द्वारा 8 माह बीत जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे वादी के जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार वादग्रस्त भूमि की 90 बी होकर नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवंटन पत्र जारी कर दिये हैं। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 22–05–2000 के अनुसार भी वादग्रस्त भूमि पर मौके पर मकान बने हुए हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय दिनांक 29–10–97 में भी वादी का कब्जा नहीं होना एवं लगान भी नहीं जमा होना अंकित है। वादग्रस्त भूमि की 90 बी होकर मौके पर मकान का निर्माण हो चुका है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि कृषि नहीं रही है। आबादी भूमि से संबंधित प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10–06–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–07–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 से 19 एवं 21 से 25 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सोनी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 20 की ओर से वकील श्री समित शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 41 की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 26 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रकरण में दौराने कार्यवाही

विभिन्न रेस्पोन्डेन्ट को पक्षकार संस्थित किया गया। वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण की पेशी दिनांक 17–04–2017 को नियत थी किन्तु उस दिन शोक सभा हो जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 27–06–2017 नियत की गयी एवं वादी के अधिवक्ता पेशी लेकर चले गये। इसी बीच अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10–06–2017 को प्रकरण लोक अदालत में रखकर वादीगण या उनके अधिवक्ता को बिना सूचना दिये वाद खारिज कर दिया। अपीलान्टगण गरीब आदिवासी हैं जिनको बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त की जावे।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस में यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण जिस भूमि के संबंध में वाद लेकर आये हैं वह आबादी भूमि है तथा स्वयं अपीलान्ट ने अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वादग्रस्त भूमि की किस्म आबादी अंकित की है तथा मौके पर निर्माण किया हुआ होना व मकान तथा देवरा बने होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार वादी के स्वयं के अभिवचनों से वाद विधि बाधित होकर चलने योग्य नहीं है। वादीगण का उक्त भूमियों पर कभी भी कब्जा नहीं रहा, न ही भूमियां कभी उनके खाते दर्ज रही हैं। संपूर्ण भूमि पर कब्जा रेस्पोन्डेन्टगगण का है तथा भूमि की 90 बी होकर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे भी जारी हो चुके हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील भी विधिवत प्रस्तुत नहीं की गयी है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 देवीलाल की मृत्यु हो चुकी है तथा अधिनस्थ न्यायालय में इसका नामकायमी का आवेदन प्रस्तुत हो रखा है तथा अपीलान्ट ने मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाया है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय में मूल

पक्षकार प्रतिवादी संख्या 1 से 10 थे, जिनके विरूद्ध अपीलान्ट वाद लेकर आया है, उनको अपील में पक्षकार बनाया है किन्तु उनका नाम हटाने का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 की तामील भी अपीलान्ट द्वारा नहीं करवायी गयी है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील नोन जोईन्डर ऑफ नेससरी पार्टीज के तहत भी खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में वादिया संख्या 8/3 श्रीमती हकमी को अपील में न तो अपीलान्ट बनाया है न ही रेस्पोन्डेन्ट। इस कारण अपील इसी आधार पर निरस्त योग्य है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय में बने पक्षकार चन्द्र प्रकाश चोर्डिया, सुरेश मूर्डिया, जी.के. उपाध्याय, दीपा बापना, निर्मला देवी, दौलत कुमार को अपील में पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि ये अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे व इनकी तरफ से आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो भी अपील में आवश्यक पक्षकार हैं, जिनको पक्षकार नहीं बनाया है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पूर्व से प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारियों के नाम अंकित चली आ रही हैं तथा उनका कब्जा है। अपीलान्टगण का उक्त भूमियों से कोई संबंध नहीं है। अपीलान्ट का यह तर्क भी गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपील स्तर पर भी कोई ऐसी बात नहीं रखी गयी है, जिससे प्रतीत हो कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सहीं नहीं हो। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 2004 सुप्रिम कोर्ट पेज 2093 प्रस्तुत की है, जिसके तहत न्यायालय मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत मामले में विधि सम्मत निर्णय पारित करने के लिए सक्षम है। अतएवं अपील मय हर्जे–खर्चे के खारिज की जावे।

वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस के साथ जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसमें विवादित आराजी नंबर 1386, 1387, 1392, 1393 इत्यादि भूमियां प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं तथा आराजी नंबर 1386 व 1387 की किस्म आबादी दर्ज है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन दिनांक 18–10–2016 को प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल वकील अपीलान्ट/वादी को उपलब्ध करवायी गयी। दिनांक 18–10–2016 से लेकर दिनांक 10–06–2017 तक उक्त आवेदन का जवाब अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर उभयपक्षों की अनुपस्थिति में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को ही नहीं बल्कि रेस्पोन्डेन्ट को भी नहीं सुना गया है, लेकिन उपलब्ध रेकार्ड अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन के सन्दर्भ में विधिक स्थिति यह है कि उक्त आवेदन का निर्णय करते समय तथ्यों को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि स्वयं वादीगण ने अपनी प्लीडिंग्स में भूमियां आबादी की होना इंगित कर रखा है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भी भूमियों की किस्म आबादी है। इसके अलावा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में भी आंशिक भूमियां आबादी में दर्ज हैं, तद्नुसार जब वाद पत्र प्रस्तुत करते समय ही आंशिक भूमियां आबादी में दर्ज होना स्पष्ट है तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं रहता है, क्योंकि यदि दीवाना व राजस्व दोनों न्यायालयों का मामला है तो निसंदेह दीवानी न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार होता है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपील में सिर्फ यह उजर लिया गया है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, परन्तु रेस्पोन्डेन्ट के आवेदन व उसके खण्डन के सन्दर्भ में तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर होने अथवा नहीं होने के संबंध में उसके द्वारा अपील में कोई कथन नहीं किया गया है। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जैसाकि अपनी लिखित बहस में वर्णित किया गया है कि अपीलान्ट ने मृत व्यक्ति को भी पक्षकार संस्थित कर दिया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में उसके कायम मुकाम का आवेदन पेश किया जा चुका था। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में रहे कई प्रतिवादीगणों को न तो अपीलान्ट के रूप में संस्थित किया गया है एवं न रेस्पोन्डेन्ट के रूप में। तद्नुसार अपील प्रथम दृष्टया अविधिक हो जाती है। हम यह पाते

हैं कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में तुच्छ एवं निराधार आधारों पर वाद प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट स्वयं ने अपनी प्लीडिंग्स में विवादित भूमि आबादी की होना अंकित किया है तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 जो वाद प्रस्तुती से पूर्व की है, उसमें भी आंशिक भूमियां आबादी में दर्ज है। इसके अलावा तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमियों पर मकान बने होना जाहिर किया है। तद्नुसार विवादित भूमियां आबादी की होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने अपना क्षेत्राधिकार नहीं मानकर जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय में भी अपीलान्ट/वादीगण ने रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपील स्तर पर भी अपीलान्ट ने सुनवाई के अभाव के अलावा अन्य कोई उजर नहीं लिये हैं। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने तथा अपील में कई प्रतिवादीगण को रेस्पोन्डेन्ट अथवा अपीलान्ट के रूप में संस्थित नहीं किये जाने के कारण भी अपील Nullity (शून्य) मानी जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं मानकर प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने, मरे एवं व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं कई प्रतिवादीगणों को अपील में पक्षकार संस्थित नहीं किये जाने के आधार पर अविधिक होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–06–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

ठाकरिया के बजाय श्रीमती भंवरीबाई पत्नी स्व. ठाकरिया भील, नि. बिल्ली वाला कुंआ, आयड़, न्यू भुपालपुरा, उदयपुर व अन्य

बनाम

देवीलाल पिता दलीचन्द कलाल निवासी जनता मार्ग, सूरजपोल, उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**98/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**....माह.....**01**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री रोशनलाल जैन..**मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री नरेन्द्र सोनी/श्री समित शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने, मरे एवं व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं कई प्रतिवादीगणों को अपील में पक्षकार संस्थित नहीं किये जाने के आधार पर अविधिक होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**07**.....माह.....**01**.....**2019** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।